बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (II) व^{3}– 3 / 2011– / पटना, दिनांक

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु स्वीकृत राशि रू॰ 9,33,50,000=00 (नौ करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू॰ 1,50,00,000=00 (एक करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1668, दिनांक 24.07.2015 के द्वारा नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी के स्थायी परिसर में नवनिर्मित भवन में कार्यालय, वर्गकक्ष, कर्मशाला, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं छात्रावास के लिए आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू॰ 9,33,50,000=00 (नौ करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2015--16 में रू॰ 4,20,29,000=00 मात्र तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू॰ 3,21,00,000=00 मात्र अर्थात कुल रू॰ 7,41,29,000=00 (सात करोड़ इकतालीस लाख उनतीस हजार रूपये) मात्र संस्थान को अबतक विमुक्त की जा चुकी है।

3. राज्य सरकार ने नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू॰ 1,50,00,000=00 (एक करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

4. उक्त विमुक्ति राशि, वित्तीय वर्ष 2017–18 के राज्य स्कीम बजट के ''मुख्यशीर्ष– 4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105 –इंजीनियरिंग / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102– पोलिटेकनिक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय'' के अधीन 52–मशीनरी एवं उपस्कर विस्तृत शीर्ष के 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43– 4202021050102 है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी होंगे।

6. इस राशि की निकासी कोषागार, हिलसा से की जायेगी।

7. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

8. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई सामग्रियों की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी।

9. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2199/वि०, दिनांक 24.03.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

11. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) व^3 – 3/ 2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) व^3 – 3/ 2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) व^3 – 3/ 2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, नालन्दा कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग, चण्डी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) व^3 – 3/ 2011– 1315 /पटना, दिनांक– 6-6-017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/ आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.06.17

सरकार के उप सचिव

6/6/17